"Knowledge Scholar"
An International Peer Reviewed E-Journal Of Multidisciplinary Research
Volume: 06, Issue: 04, Jul. – Aug. 2019 eISSN NO. 2394-5362
Impact Factor (SJIF) – 5.266

बालश्रम उन्मूलन : एक कानूनी प्रयास

गौरव जैन
सहायक आचार्य
राजकीय महाविद्यालय,
बाडी, धौलपुर (राज.)

सारांश

बालश्रम, बाल–मानवाधिकार के समक्ष गंभीर चुनौती है। बचपन का मरना, स्वर्णिम भविष्य की संभावनाओं का मरना है। बालश्रम एक बहुआयामी समस्या है, किंतु हमने अध्ययन में कानूनी आयाम के विश्लेषण पर अधिक बल दिया है। तथ्य संकलन में द्वितीयक स्त्रोत का सहारा लिया है। आजादी के बाद बालश्रम उन्मूलन की दिशा में किए गए विधिक प्रयासों से जुड़े तथ्यों का संकलन अखबारों, पत्र–पत्रिकाओं, सरकार द्वारा गठित समितियों के प्रतिवेदनों, संसदीय कानूनों और गैर सरकारी संगठनों के प्रतिवेदनों से किया है। अध्ययन में पाया कि, भारत में कानूनी प्रयासों की अपनी सीमाएं तो हैं ही, साथ में भ्रष्टाचार, कमजोर राजनीतिक इच्छाशक्ति, वित्तीय कुप्रबंधन और ढांचागत् कमजोरियों के चलते कानूनी प्रयासों की प्रभावशीलता और कम हुई है। विश्लेषण में पाया कि, बालश्रम उन्मूलन हेतु कानूनी रिक्तियों को भरने के साथ–साथ उन सामाजिक–आर्थिक दशाओं का निर्माण भी करना होगा जो किसी कानून की प्रभावशीलता के लिए जरूरी हैं।

बीज शब्द–बचपन, कानूनी आयाम, वित्तीय कुप्रबंधन, प्रभावशीलता।

बालश्रम निषेध का यह मतलब नहीं है कि बच्चों से श्रम ही नहीं लेना। घरेलू कार्यों में बच्चों द्वारा छोटा–मोटा सहयोग कराना बाल श्रम नहीं है। हम बालश्रम के उस रूप का विरोध करते हैं, जो बच्चों के शिक्षा, स्वास्थ्य और बाल सुलभ आनन्द के बुनियादी अधिकार का उल्लंघन करता है और बचपन को मारता है। एक बच्चा खिलौनों के साथ खेलने की उम्र में खिलौने बेचता है तो यह बालश्रम है, भले ही बच्चा जोखिम पूर्ण कार्य में नियोजित नहीं है। आज का बालक कल का भविष्य

http://www.ksijmr.com

है। इसलिए जब बचपन मरता है, तब केवल बचपन नहीं करता है, अपितु स्वर्णिम भविष्य की संभावनाएँ भी साथ मरती हैं। बचपन को बचाना दुनिया की साझी जिम्मेदारी है, क्योंकि बालश्रम एक वैश्विक समस्या है। यूनिसेफ की एक रिपोर्ट (2019) के मुताबिक करीब पन्द्रह करोड़ बालक बालश्रम करने को विवश हैं। कोविड–19 वायरस से दुनिया भर में सामाजिक–आर्थिक हालात बिगड़े हैं, इसका दुष्परिणाम बालश्रम के आंकड़ों पर भी दिखेगा। पिछड़े और विकासशील देशों में बालश्रम की समस्या पहले से ही भयावह है। पाकिस्तान का कालीन उद्योग, इण्डोनेशिया का तम्बाकू उद्योग,श्रीलंका का चाय उद्योग, बांग्लादेश का टी–शर्ट उद्योग, थाईलैण्ड का बैग उद्योग और मोरक्को का चमड़ा उद्योग तो बालश्रम पर ही टिका है। दुनिया भर में बच्चे कृषि और बागानी कार्यों में नियोजित हैं। बाल–वेश्यावृति भी बालश्रम का ही वीभत्स रूप है। मानव तस्करी का सर्वाधिक शिकार अवयस्क बच्चे (1.2 करोड़) हो रहे हैं।[1] दक्षिण–पूर्वी एशिया बाल–वेश्यावृति के लिए अधिक बदनाम है। इस्लामिक स्टेट जैसे चरमपंथी संगठन बच्चों का इस्तेमाल मानव बम और सैनिक के रूप में ले रहे हैं।[2] बालश्रम को लेकर जहाँ तक भारत की स्थिति है, वर्ष 2011 की जनगणना के मुताबिक भारत में करीब दस लाख बालश्रमिक विभिन्न क्षेत्रों में कार्यरत् हैं जो कुल बाल आबादी का 3.9 प्रतिशत है। भारत में चूड़ी उद्योग, नगीना उद्योग, रंगाई–छपाई उद्योग, बीड़ी उद्योग, कालीन उद्योग, दियासलाई उद्योग, विनिर्माण क्षेत्र, कृषि क्षेत्र व घरेलू नौकर के रूप में बच्चे नियोजित हैं। जहां तक भारत में बालश्रम की ऐतिहासिकता की बात हैं। भारत में बालश्रम की समस्या ब्रिटिश राज के दौरान गंभीर होने लगी थी। आज बाजार अर्थव्यवस्था के दौर में यह समस्या विकराल होती जा रही है। औपनिवेशिक शासन का तो चरित्र ही आर्थिक शोषण का होता है। इसका मुख्य ध्येय अधिक से अधिक आर्थिक लाभ अर्जित करना है, चाहे फिर यह बालश्रम की कीमत पर ही क्यों न हो। अतः भारत में औपनिवेशिक शासन के दौरान बाल श्रम की समस्या का गंभीर होना कोई आश्चर्य की बात नहीं है, ऐसा होना स्वाभाविक था। ऐसा नहीं है कि ब्रिटिश राज में बालश्रम निषेध को लेकर कोई कानून नहीं बने थे। कानून तो नियमित अन्तराल में बनते रहे थे। इस दौर में जितने भी श्रम नियोजन, फैक्ट्री और कल–कारखाना सम्बन्धी एक्ट बने उन सभी में जोखिमपूर्ण प्रक्रियाओं में बालश्रम को प्रतिबंधित किया गया था। औपनिवेशिक शासन के दौरान भारत में निर्मित बालश्रम निषेध कानूनों में छोटी–मोटी तो बहुत कमियाँ थीं, किंतु दो कमियाँ मुख्य तौर पर थी–पहली जोखिमपूर्ण प्रक्रियाओं की सूची बहुत छोटी थी। बहुत–सी खतरनाक प्रक्रियाओं में बालश्रम को प्रतिबंधित नहीं किया गया, जहाँ बचपन मर रहा था। दूसरी कमी बालश्रम निषिद्ध कानूनों के दोषपूर्ण क्रियान्वयन की थी। शासन तंत्र की कमजोर इच्छा शक्ति के कारण ये कानून जमीन पर ठीक से लागू नहीं हो पा

रहे थे। यह कहना अतिशयोक्तिपूर्ण नहीं होगा कि ब्रिटिश राज में बालश्रम निषेध कानून केवल दिखावा मात्र थे।

वर्ष 1947 में देश आजाद हुआ और वर्ष 1950 में संविधान लागू हुआ। संविधान के अनुच्छेद–15(3),21, 24, 38, 39(ई), व (एफ), 45 और अनुच्छेद–350 में बाल–अधिकारों को संरक्षण दिया गया है।[3] संविधान के अनुच्छेद–24 में प्रावधान किया कि–"चौदह वर्ष से कम आयु के किसी बालक को किसी कारखाने या खान में काम करने के लिए नियोजित नहीं किया जाएगा या किसी अन्य परिसंकटमय नियोजन में नहीं लगाया जायेगा।" संविधान के अनुच्छेद–24 के आलोक में भारत सरकार ने वर्ष 1986 में बालश्रम निषेध के लिए एक व्यापक कानून बनाया, जिसे बालश्रम (निषेध एवं नियमन) अधिनियम कहते हैं। आजकल इस अधिनियम का नाम बदलकर "बाल एवं किशोर श्रम (निषेध एवं नियमन) अधिनियम–1986" कर दिया गया है। ऐसा नहीं है कि संविधान लागू होने से वर्ष 1986 तक भारत में बालश्रम की रोकथाम हेतु कोई कानून नहीं था, दरअसल वर्ष 1986 तक हम बालश्रम का निषेध और नियमन ब्रिटिश शासन के दौरान निर्मित कानून से करते रहे। वर्ष 1977 में प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई सरकार सत्ता में आई और 1979 में जनता पार्टी सरकार ने बाल–मजदूरी की समस्या और इससे निजात दिलाने के लिए गुरुपद स्वामी की अध्यक्षता में एक 16 सदस्यीय समिति का गठन किया, जिसे 'गुरुपद स्वामी समिति' के नाम से जाना जाता है। समिति की सिफारिशों के आधार पर कांग्रेस सरकार ने वर्ष 1986 में व्यापक कानून बनाया। वर्ष 1987 में इसी कानून के दायरे में राष्ट्रीय बालश्रमिक परियोजना का निर्माण किया गया। बालश्रम के विरूद्ध कानून निर्माण में हुई देरी पर बाल अधिकार कार्यकर्ताओं में गहरी नाराजगी रही है। बाल अधिकार कार्यकर्ताओं में नाराजगी की अपनी वजह है, किन्तु अधिनियम के निर्माण में देरी की घटना का एक दूसरा पहलू भी है। दरअसल कानून बना देना ही पर्याप्त नहीं है। सबसे बड़ी चुनौती उस परिवेश के निर्माण करने की है, जिसमें वह कानून जीवित रह सके। बालश्रम कानून के लिए जिस तरह के सामाजिक–आर्थिक परिवेश की जरूरत होती है, उसकी आदर्श स्थिति तो आज भी नहीं है और 1950 में तो बिल्कुल भी नहीं थी। मनमाने ढंग से समाज पर थोपे गए कानूनों को जनता की स्वाभाविक आज्ञाकारिता नहीं मिलती। सरकार के लिए संघर्ष बढ़ जाता है। संविधान में भारत का बहुत सुंदर नक्शा रचा गया है। यह सुंदर सपना अभी भी जमीन पर नहीं उतर पाया है। हम अपनी औपनिवेशिक विरासत के कड़वे अनुभवों से बाहर नहीं निकल पाये हैं। भारत में सरकारों के सामने पहली चुनौती बुनियादी सुविधाओं तक जनता की पहुँच सुनिश्चित करना था। भारत को विरासत में

खस्ताहाल अर्थव्यवस्था मिली थी। कुटीर और लघु उद्योगों में बच्चों से श्रम लिया जा रहा था। ऐसे में यदि बालश्रम पर रोक लग जाती तो अर्थव्यवस्था के लिए मुश्किल खड़ी हो सकती थी। दूसरी समस्या बालश्रमिकों के पुनर्वास की होती, क्योंकि भारत में न तो गांव–गांव में स्कूल थे, जहाँ मुक्त बच्चों को शिक्षा से जोड़ा जा सके और न ही बाल–आश्रम थे, जहाँ बच्चों को रखा जा सके। जिन समस्याओं का आधार सामाजिक–आर्थिक है, उन्हें केवल कानून बना देने से नहीं निपटा जा सकता। भारत में आज भी बालश्रम इसलिए कायम है, क्योंकि गरीबी मौजूद है। रंगराजन समिति की रिपोर्ट कहती है कि भारत में 29.57 प्रतिशत आबादी गरीबी रेखा से नीचे जीवन–यापन करती है। जिस राष्ट्र में पैंतीस करोड़ जनसंख्या गरीबी रेखा से नीचे हो, वहाँ बालश्रम उन्मूलन की बात महत्त्वहीन हो जाती है।

प्रधानमंत्री राजीव गांधी के समय वर्ष 1986 में बालश्रम (निषेध एवं नियमन) अधिनियम पारित किया गया। इस कानून के द्वारा चौदह वर्ष से कम आयु के बालकों का परिसंकटमय उद्योगों एवं प्रक्रियाओं में नियोजन निषिद्ध किया गया। जोखिमपूर्ण उद्योगों एवं प्रक्रियाओं से इतर बच्चों से काम लिया जा सकता है। गैर–जोखिमपूर्ण उद्योगों में बालश्रम का निषेध नहीं किया गया अपितु नियमन किया गया है। बालश्रम (निषेध एवं नियमन) अधिनियम–1986 के प्रमुख प्रावधान निम्नवत् हैं–

- 14 वर्ष से कम आयु के बालकों को खतरनाक कार्यों में नियोजित नहीं किया जा सकता।
- अधिनियम में विभिन्न उद्योगों से जुड़ी 83 प्रक्रियाओं को जोखिमपूर्ण प्रक्रिया के रूप में पहचाना गया है।
- नियोक्ता और अभिभावक के द्वारा अधिनियम का उल्लंघन किए जाने पर 3 माह से 12 माह तक कारावास का प्रावधान किया गया है। आर्थिक दण्ड के तहत् दस हजार से बीस हजार रुपये तक जुर्माना लगाया जा सकता है। विशेष परिस्थिति में आर्थिक दण्ड और कारावास के प्रावधान को एक साथ भी प्रभावी किया जा सकता है।
- अधिनियम में जिला कलेक्टर और उपखण्ड मजिस्ट्रेट की जवाबदेहीता भी सुनिश्चित की गई है। जिले के सभी उपखण्ड मजिस्ट्रेट अपने–अपने उपखण्ड में बालश्रम नहीं होने की रिपोर्ट प्रतिवर्ष जिला कलेक्टर कार्यालय में प्रस्तुत करते हैं। जिला कलेक्टर यही सूचना संकलित कर राज्य सरकार को सौंपते हैं।
- गैर–जोखिमपूर्ण क्षेत्र में नियोजित बच्चों के लिए काम की दशाएँ तय की गई हैं। न्यूनतम पारिश्रमिक से कम वेतन नहीं, कार्यस्थल पर पानी, छाया और प्राथमिक चिकित्सा सुविधा की

उपलब्धता, काम के घण्टे तय किए गए हैं लेबर इन्स्पेक्टर विभिन्न प्रतिष्ठानों एवं कार्यस्थलों पर जाकर समय–समय पर काम की दशाओं का निरीक्षण करते हैं।[4]

बाल अधिकार कार्यकर्ता पहले इस बात से चिंतित थे, कि देश में बढ़ते बालश्रम की रोकथाम के लिए कोई कानून नहीं है। अस्सी के दशक में बालश्रम (निषेध एवं नियमन) अधिनियम–1986 लाया गया। बुद्धिजीवियों और सामाजिक कार्यकर्ताओं को लगता है कि बालश्रम अधिनियम में बहुत–सी कमियाँ हैं, जिनके द्वारा बाल मजदूरी जारी रखी जा सकती है। बाल अधिकार कार्यकर्ता चिंता जताते हैं कि अधिनियम में बालश्रम पर पूर्ण प्रतिबंध नहीं लगाया गया। अधिनियम में बाल–मजदूर निषेध और नियमन के बीच फँस जा रहा है। बाल मजदूरी का नियमन क्यों हो? बचपन कोई व्यवसाय का विषय नहीं है। गैर–जोखिमपूर्ण क्षेत्र में बालश्रम का नियमन कर सरकार और प्रशासन अपनी जिम्मेदारी से पल्ला नहीं झाड़ सकते। गैर जोखिमपूर्ण कार्यों में नियोजित बच्चे भी तो शिक्षा के अधिकार से वंचित हो रहे हैं। ये बच्चे या तो स्कूल में दाखिला नहीं लेते या फिर ड्रॉप–आउट हो जाते हैं। अधिनियम में जोखिमपूर्ण उद्योगों एवं प्रक्रियाओं की जो सूची तैयार की गई है, वो पर्याप्त नहीं है। अभी भी बहुत–सी परिसंकटमय प्रक्रियाओं को अधिनियम में सूचीबद्ध नहीं किया गया है। बुद्धिजीवियों और मानवाधिकार कार्यकर्त्ताओं की शिकायत अधिनियम की प्रभावी ढंग से लागू होने की भी है। हालांकि कानून के प्रभावी क्रियान्वयन का अभाव विकासशील देशों की आम समस्या है। इसीलिए इन्हें मृदु राज्य कहा जाता है। कानून के जमीन पर लागू नहीं होने के पीछे भ्रष्टाचार तो मुख्य कारण होता ही है, साथ में अधिकारियों पर राजनीतिक दबाव भी अड़चन बन जाता है। अधिनियम का पनिसमेंट क्लॉज कमजोर है। अधिनियम में अभिभावक और नियोक्ता के लिए दण्ड का प्रावधान है, किंतु उन उपखण्ड अधिकारियों और जिलाधीशों के लिए दण्ड का प्रावधान नहीं है, जो प्रतिवर्ष अपने क्षेत्र में बालश्रम नहीं होने की रिपोर्ट सरकार को सौंपते हैं और फिर बालश्रम मिलता है। अधिनियम में बालश्रम से मुक्त कराये गये बच्चों के लिए पुनर्वास का प्रावधान किया गया है किंतु पुनर्वास के लिए आधारभूत ढाँचा कमजोर है। बाल–आश्रमों की संख्या कम है, जबकि मुक्त कराए गए बालश्रमिकों की संख्या ज्यादा है। परिणाम यह होता है कि सरकार मुक्त बाल–मजदूरों को परिजनों को सौंप देती हैं और कुछ समय बाद वही बच्चे पुनः उसी जोखिमपूर्ण प्रतिष्ठान से जुड़ जाते हैं। नियोक्ताओं को दण्ड मिलने की दर बहुत कम है। बच्चों की उम्र के फर्जी दस्तावेज, तो कभी कमजोर पैरवी के कारण दोषी नियोक्ता सजा तक नहीं पहुँच पाते हैं।

परिणामस्वरूप नियोक्ता बालश्रम (निषेध एवं नियमन) अधिनियम के प्रावधानों को गंभीरता से नहीं लेते हैं। इस तरह हम बालश्रम की समस्या से मजबूती से नहीं लड़ पाते हैं।

भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, अन्तर्राष्ट्रीय कानून का पालन भारत ने हमेशा किया है। संवेदनशील मानव समूहों के संरक्षण के लिए अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर अनेक प्रसंविदाएँ हुई हैं। जिनमें बाल अधिकार प्रसंविदा भी है। वर्ष 1989 में स्विट्जरलैण्ड के जिनेवा शहर में बाल अधिकार प्रसंविदा अस्तित्व में आई। भारत ने इस संविदा पर हस्ताक्षर किए और विश्व समुदाय को आश्वस्त किया कि भारत अपने यहाँ बाल अधिकारों के संरक्षण के लिए आवश्यक कदम उठायेगा।[5] देश के अन्दर भी विभिन्न संगठनों की ओर से एक मजबूत बालश्रम निषेध कानून की मांग उठती रही है। विभिन्न समूहों के सुझावों और बाल अधिकारों के संरक्षण के प्रति अपनी जिम्मेदारी समझते हुए वर्तमान एन.डी.ए. सरकार ने वर्ष 2016 में संशोधित बालश्रम कानून पारित किया है। कानून या अधिनियम के नाम में भी संशोधन किया गया है। अब कानून का नाम 'बाल एवं किशोर श्रम (निषेध एवं नियमन) अधिनियम कर दिया गया है। संशोधित अधिनियम बालकों (14 वर्ष) के साथ–साथ किशोरों (18 वर्ष) के भी जोखिमपूर्ण प्रक्रियाओं में नियोजन पर प्रतिबंध लगाता है। बाल एवं किशोर श्रम (निषेध एवं नियमन) अधिनियम कितना समावेशी है। इसका विश्लेषण एवं मूल्यांकन हम तब कर पायेंगे, जब हम संशोधित कानून के मुख्य–मुख्य प्रावधानों पर चर्चा कर लेते हैं। बाल एवं किशोरश्रम (निषेध एवं नियमन) अधिनियम के प्रमुख प्रावधान निम्नलिखित हैं–

- संशोधित अधिनियम में बालकों के साथ–साथ किशोरों के भी जोखिमपूर्ण नियोजन पर रोक लगाई गई है। इससे पूर्व केवल बालकों के संकटमय प्रक्रियाओं में नियोजन पर रोक थी।
- नवीन एवं संशोधित कानून में दण्ड का खण्ड को सख्त किया गया है। पहले बालक को जोखिमपूर्ण प्रक्रियाओं में नियोजित करने वाले नियोक्ता और अभिभावक के लिए सजा 3 माह से 12 माह तक करावास और आर्थिक दण्ड के रूप में 10 हजार से 20 हजार रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान था। अब कारावास को बढ़ाकर 6 माह से 24 माह कर दिया है और आर्थिक दण्ड की राशि को बढ़ाकर 20 हजार से 50 हजार कर दिया है।
- संशोधित अधिनियम में जोखिमपूर्ण प्रक्रियाओं की सूची को संक्षिप्त कर दिया गया है। पहले 83 प्रक्रियाओं को जोखिमपूर्ण प्रक्रियाओं को सूचीबद्ध किया गया था। अब केवल 03 प्रक्रियाओं को जोखिमपूर्ण प्रक्रिया की सूची में रखा गया है। ये तीन प्रक्रियाएँ–खदान कार्य, ज्वलनशील पदार्थ व विस्फोटक हैं।

http://www.ksijmr.com

- 14 वर्ष से कम उम्र के बालकों को किसी भी शॉप प्रतिष्ठान, फैक्ट्री व इंडस्ट्री में नियोजित नहीं किया जा सकता। 18 वर्ष तक की आयु के बच्चों को जोखिमपूर्ण प्रक्रियाओं में नियोजित नहीं किया जा सकता।
- 14 वर्ष से कम उम्र के बालकों को 'फैमली बेस्ड इन्टरप्राइजेज' व ओडियो–विजुअल एन्टरटेनमेंट' संबंधी कार्यों में नियोजित किया जा सकता है।[6]

संशोधित अधिनियम में कई उल्लेखनीय बात है। पहली बात तो यह है कि इसमें किशोरों को भी जोखिमपूर्ण प्रक्रियाओं में लगाने पर प्रतिबंध लगाया गया है। दूसरा बच्चों को चुनिंदा उद्योगों को छोड़कर कहीं भी नियोजित नहीं किया जा सकता अर्थात् बच्चे 'ऑडियो–विजुअल एन्टरटेन्मेन्ट' और 'फेमली बेस्ड इन्टरप्राइजेज' में ही नियोजित किए जा सकते हैं। अधिनियम में बालश्रम के दायरे को छोटा किया गया है। संशोधित कानून में सजा के खण्ड को मजबूत करना एक महत्त्वपूर्ण कदम है। सजा की अवधि 6 माह से 24 माह तक करने से अपराधियों में भय व्याप्त होगा।

कानून या अधिनियम में संशोधन के बाद भी बुद्धिजीवियों एवं बाल अधिकार विश्लेषकों की आशंकाएँ समाप्त नहीं हुई हैं। विश्लेषक संशोधित कानून को बालश्रम उन्मूलन की दिशा में बढ़ता कदम अवश्य मानते हैं किन्तु इसे पर्याप्त कदम नहीं मानते। संशोधित कानून में अभी भी कई खामियाँ हैं, उदाहरणार्थ जोखिमपूर्ण प्रक्रियाओं की संख्या घटाकर केवल तीन कर दिया है, जो तार्किक नहीं दिखता। अधिनियम की सबसे बड़ी आलोचना इस बात को लेकर हो रही है कि इसमें 'फेमली बेस्ड इन्टरप्राइजेज' में जारी बाल मजदूरी पर प्रतिबंध नहीं लगाया गया है। बाल अधिकार कार्यकर्ता इस बात से गहरी नाराजगी रखते हैं। इन्हें लगता है, 'फेमली बेस्ड इन्टरप्राइजेज' में बालश्रम को मंजूरी देकर सरकार ने बालश्रम के लिए बहुत बड़ा रास्ता खोल दिया है। संयुक्त राष्ट्र की संस्था यूनिसेफ ने भी इस सम्बन्ध में चिंता जाहिर की है।[7] संशोधित अधिनियम माता–पिता के साथ कार्यों में बच्चों द्वारा सहयोग करने को अपराध नहीं मानता है। आसान भाषा में समझने पर यह अपराध लगता भी नहीं है। लेकिन विभिन्न शोध बताते हैं कि भारत में कुल बालश्रम का 60 प्रतिशत हिस्सा या भाग होमबेस्ड कार्यों में ही नियोजित है। बीड़ी उद्योग, दियासलाई, कपड़ा उद्योग, चटाई उद्योग और नगीना उद्योग का अधिकांश काम होमबेस्ड ही है। होम बेस्ड इण्डस्ट्री में आमतौर पर घर का मुखिया फैक्ट्री के मालिक से काम ले आता है और परिवार के सदस्य मिलकर उस कार्य को करते हैं। सामान्यतया तो घर का मुखिया बच्चों से काम नहीं लेना चाहता किंतु कभी–कभी काम का तकाजा बढ़ जाता है और मुखिया बच्चों को स्कूल नहीं भेजकर काम पर लगा देता है। एक समय बाद

बालक स्कूल से ड्रॉप आउट हो जाते हैं। जहाँ बच्चों को परिवार में किसी कार्य के लिए बाध्य किया जाता है, चाहे प्रलोभन देकर या भावनात्मक सौदेबाजी द्वारा, तब यह गांधी के बुनियादी शिक्षा के विचार से अलग हो जाता है। गांधीजी यह तो चाहते थे कि बच्चों को शिक्षा के साथ–साथ रोजगार का प्रशिक्षण मिले, किन्तु गांधी यह कभी नहीं चाहते थे कि बच्चों को कार्य सीखने हेतु बाध्य किया जाये या उन्हें शिक्षा और स्वास्थ्य के अधिकार से वंचित कर दिया जाये। अधिनियम में एक कमी यह भी है कि, कोई भी नियोक्ता अपने यहाँ काम करने वाले बाल मजदूरों को अपने परिवार का बच्चा बताकर काम ले सकता है। अधिनियम की अपनी उपलब्धियाँ भी हैं। वर्ष 2016 में जो संशोधित अधिनियम आया और नागरिक समाज द्वारा उसकी जो आलोचनाएँ हुईं उसी को ध्यान में रखते हुए केन्द्र सरकार ने वर्ष 2017 में पुनः बाल एवं किशोर श्रम (निषेध व नियमन) अधिनियम संशोधित किए हैं, जो निम्नवत हैं–

- एक कलाकार के रूप में बच्चों और किशोरों से पाँच घण्टे से ज्यादा काम नहीं लिया जा सकता।
- यदि ऑडियो–विजुअल क्षेत्र में बच्चों से काम लिया जाता है तो निर्माता को सम्बन्धित जिला कलेक्टर कार्यालय से छह माह के अन्तराल में इस कार्य हेतु बच्चों के उपयोग की इजाजत लेनी होगी।

लाख कोशिशों के बाद भी भारत में बाल मजदूरी का कोई हल निकलता नहीं दिख रहा है। गुरुपद स्वामी समिति ने बालश्रम की समस्या से निपटने के लिए कई सुझाव उस समय की सरकार को दिये थे, किंतु एक अहम बात कही गई कि, जो प्रमाणित भी हुई है कि, जिन देशों में निर्धनता की समस्या गहरी है, वहाँ बालश्रम भी भयावह स्थिति में है। यही वजह है कि विकासशील और पिछड़े देशों में बालश्रम सर्वाधिक है। भारत एक विकासशील देश है। वर्ष 2011–12 में अर्थशास्त्री सुरेश तेंदुलकर समिति के अनुसार भारत में गरीबी 21.5 प्रतिशत है और रंगराजन समिति के अनुसार यह आंकड़ा 29.5 प्रतिशत है।[8] इस समय अर्थात् वर्ष 2020 में भारत में बेरोजगारी दर 7 प्रतिशत से ऊपर है। कोरोना वायरस ने दुनिया भर के देशों की अर्थव्यवस्था को जिस तरह झटका दिया है, आने वाला समय गरीबी और बेरोजगारी को और बढ़ायेगा। बदलते सामाजिक–आर्थिक हालात बालश्रम के अनुकूल हालात पैदा कर कर रहे हैं। आजादी के बाद से ही सरकारें निर्धनता उन्मूलन के लिए प्रयास करती रही हैं, आज भी सरकार मनरेगा, खाद्य सुरक्षा कानून, उज्ज्वला गैस योजना, पोषाहार योजना, निःशुल्क शिक्षा और चिकित्सा के लिए शिक्षा का अधिकार कानून और आयुष्मान

भारत योजना संचालित हैं। सबसे बड़ी समस्या इन योजनाओं का भ्रष्टाचार की वजह से प्रभावी क्रियान्वयन नहीं होना है। इस कारण महत्त्वाकांक्षी योजनाएँ लक्षित लोगों तक नहीं पहुँच पाती हैं। राजनीतिज्ञों की कमजोर राजनीतिक इच्छाशक्ति भी बालमजदूरी के उन्मूलन में बड़ी बाधा है। अन्तर्राष्ट्रीय संविदाओं पर भारत हस्ताक्षर करता है। इसलिए बाल–अधिकार संरक्षण संरक्षण के लिए कानून भी बनाता है किंतु क्रियान्वयन प्रभावी ढंग से नहीं हो पाता है।

कमजोर कानून, बालश्रम की समस्या का एक आयाम है किंतु बालश्रम एक बहुआयामी समस्या है, अतः बालश्रम उन्मूलन के लिए चहुँमुखी प्रयास पर बल देना होगा। हम केवल सख्त कानूनों में ही बाल मजदूरी का हल तलाशते रहेंगे तो यह नाकाफी है। हमें सामाजिक–आर्थिक हालात बदलने होंगे। सब से पहले तो हमें लोक कल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन में व्याप्त भ्रष्टाचार का उन्मूलन करना होगा ताकि योजनाओं का लाभ लक्षित व्यक्ति व समूह तक पहुंचे। इस काम में तकनीकी से बड़ी मदद मिल सकती है यद्यपि सरकार योजनाओं की निगरानी और लाभों के वितरण में तकनीकी का सहारा ले रही है। जब महत्वाकांक्षी योजनाएं जमीन पर उतरेंगी तभी देश में गरीबी और बालश्रम में कमी आयेगी। बालश्रम उन्मूलन के मार्ग में एक अन्य बाधा वित्तीय कुप्रबंधन है। कमजोर वित्तीय प्रबंधन न केवल भारत की अपितु कमोबेश सभी विकासशील देशों की समस्या है। सस्ती लोकप्रियता के लिए सरकारें काम की गलत प्राथमिकता तय कर लेती हैं या गैर–जरूरी क्षेत्र में पैसा खर्च कर देती हैं। दुष्परिणामस्वरूप सामाजिक जीवन की कई गंभीर समस्याएं दशकों तक बनी रहती हैं। हमें बालश्रम के खिलाफ समाज में चेतना का प्रचार–प्रसार करना होगा। जागरूकता केवल सरकारी प्रयासों से ही सम्भव नहीं है, अपितु नागरिक समाज को भी बड़ी भूमिका अदा करनी होगी। शिक्षकों, बाल अधिकार कार्यकर्ताओं, बुद्धिजीवियों, धर्मगुरुओं और संत समाज को इस समस्या के खिलाफ खड़ा होना होगा। गौरतलब है कि शहरी गरीबी गांवों की गरीबी से अधिक भयानक है। अतः मनरेगा की तर्ज पर शहरी क्षेत्रों में भी रोजगारपरक योजना संचालित की जानी चाहिए। निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार कानून का सीधा संबंध बालमजदूरों के पुनर्वास से है, अतः शिक्षा के अधिकार कानून का प्रभावी क्रियान्वयन होना चाहिए। बाल मजदूरों के पुनर्वास के लिए हर उपखण्ड स्तर पर बालक और बालिका के लिए पृथक्–पृथक् आवासीय विद्यालय होने चाहिए।[9] बालश्रम कानून में उपखण्ड मजिस्ट्रेट और जिला मजिस्ट्रेट की जवाबदेहिता भी तय होनी चाहिए। उपर्युक्त प्रयासों को सही से लागू करते हैं तो हम बचपन को बचा सकते हैं।

संदर्भ ग्रन्थ

1. डॉ. द्विवेदी प्रीती, लेख 'बच्चों व महिलाओं का अनैतिक व्यापारः मानवाधिकार पर प्रहार' शोध पत्रिका 'राधाकमल मुकर्जी : चिन्तन परंपरा' समाज विज्ञान शोध संस्थान प्रकाशन, बरेली (उ.प्र.), वर्ष –21 अंक–2 (जुलाई–दिसंबर 2019) पृ.सं.–31
2. न्छण्व् त्मचवतज वद श्बीपसकतमद ंदक ंतउमक बवदसिपबज.2011 चण्दण 24ण
3. डॉ. भदौरिया, अशोक सिंह व श्रीमती चौहान, नम्रता का लेख 'मानवाधिकार संरक्षण एवं बाल श्रम' शोध पत्रिका 'राधाकमल मुकर्जी चिन्तन परंपरा' समाज विज्ञान शोध संस्थान प्रकाशन, बरेली (उ.प्र.), वर्ष–18, अंक–2 (जुलाई–दिसंबर 2016) पृ.सं.–90.
4. तिवाड़ी, रघुनाथ प्रसाद, 'जनोपयोगी कानून' ऋचा प्रकाशन, जयपुर, प्रथम संस्करण–2012, पृ.सं.–88.
5. राही चन्द्रभान व शर्मा सियाराम, "बालक एवं बालकों के अधिकार", नई दिल्ली, दिनमान प्रकाशन, प्रथम संस्करण–2012, पृ.सं. 50.
6. वार्षिक प्रतिवेदन एवं प्रगति विवरण–2018–19, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार, पृ.सं.–25 से उधृत है।
7. ीजजचेरूध्ध्दंअईींतंजजपउमे.पदकपंजपउमे. बवउध्पदकपंध्नदपबमचितमेमकऋबवदबमतदऋवअमत–पदकपं39ेऋबीपसक–संइवनत–सूं–बींदहमेध्ंतजपब समीवूध्53402048.बउे
8. रंगराजन समिति रिपोर्ट–2014 के पृष्ठ संख्या–13 से उधृत है।
9. इन्दा, सांगसिंह, का लेख 'शिक्षा का अधिकार कानून' नया शिक्षक, त्रैमासिक पत्रिका (अक्टूबर–दिसंबर–2018), माध्यमिक शिक्षा निदेशालय, बीकानेर (राज.) के पृ.सं.–22.

http://www.ksijmr.com